Special Task Force to Combat the Drug Trafficking and Crime

634. SH. KULDEEP VATS, M.L.A: Will the Home Minister be pleased to state:-

a) Whether is a fact that the rate of crime and drug trafficking is increasing day by day in Badli Assembly Constituency as well as in whole State; and
b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to form special task force to combat increasing crime and drug menace in State together with the details thereof?

Home Minister, Haryana

Sir, a statement is placed on the table of the House.

Statement in respect of Un-starred Question No. 634

a) Crime situation in Badli Assembly Constituency and the state of Haryana is fully under control. Cases for crime against person, women and property are being freely registered under relevant sections of Indian Penal Code and most of them have been traced. An increasing number of offenders are being booked under local and special laws such as Arms Act, NDPS Act, Excise Act and Gambling Act. Number of cases registered in Haryana was 1,37,051 in 2019, 1,28,771 in 2020 and 1,40,420 in 2021. The crime statistics collected from field police units in Haryana does not include power and water theft cases. There were 29,302 power and water theft cases in Haryana in 2019, 63,624 in 2020 and 65,977 in 2021. Number of cases registered in police stations in Badli Assembly Constituency was 727 in the year 2019, 780 in 2020 and 1063 in 2021. Number of cases registered for drug-trafficking in police stations in Badli Assembly Constituency was 11 in the year 2019, 10 in 2020 and 25 in 2021. Number of cases registered for drug-trafficking in the state was 2677 in 2019, 3059 in 2020 and 2741 in 2021.

b) STF (Special Task Force) headed by an IGP rank officer has been constituted to fight organised criminal gangs. HSNCB (Haryana State Narcotics Control Bureau) under an ADGP rank officer has been set up to combat drug menace.

<u>मादक पदार्थों की तस्करी तथा अपराध से निपटने के लिए विशेष कार्य बल</u>

634 श्री कुलदीप वत्स, एम.एल.ए. : क्या गृहमन्त्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि बादली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में साथ ही साथ पूरे राज्य में अपराध तथा मादक पदार्थों की तस्करी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में बढ़ते अपराध और नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए विशेष कार्यबल के गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

<u>गृहमन्त्री हरियाणा</u>

महोदय,

वक्तव्य सदन के सदन के पटल पर रखा जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 634 के सम्बन्ध में वक्तव्यः–

(क) बादली विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा राज्य में अपराध की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत व्यक्तियों, महिलाओं और संपत्ति के खिलाफ अपराध के मामले निर्वाध दर्ज किए जा रहे हैं और उनमें से अधिकांश को ट्रेस कर लिया गया है। स्थानीय एवम् विशेष कानून यथा शस्त्र अधिनियम, मादक द्रव्य एवम् पदार्थ अधिनियम, आबकारी अधिनियम एवम् जुआ अधिनियम तोड़ने वाले अधिकाधिक संख्या में पकड़े जा रहे हैं। हरियाणा राज्य में वर्ष 2019 में 1,37,051, 2020 में 1,28,771 और 2021 में कुल 1,40,420 अभियोग दर्ज किए गए। हरियाणा में क्षेत्रीय पुलिस यूनिटों से एकत्र किए गए अपराध के आंकड़ों में बिजली और पानी के मामले शामिल नहीं हैं। हरियाणा में बिजली और पानी चोरी के 2019 में 29,302, 2020 में 63,624 और 2021 में 65,977 मामले दर्ज थे। बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पुलिस थानों में वर्ष 2019 में 727, 2020 में 780 और 2021 में कुल 1063 अभियोग दर्ज थे। बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पुलिस थानों में नशीले पदार्थों की तस्करी के वर्ष 2019 में 11, 2020 में 10 और 2021 में कुल 25 अभियोग दर्ज किए गए। राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी के वर्ष 2019 में 2677, 2020 में 3059 और 2021 में कुल 2741 अभियोग दर्ज थे।

(ख) संगठित आपराधिक गिरोहों से लड़ने के लिए पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। मादक पदार्थों के तस्करों से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।